



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 15
24 चैत्र 1943 (श०)
पटना, बुधवार, —————
14 अप्रील 2021 (ई०)

विषय-सूची		पृष्ठ
	पृष्ठ	
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	4-23	
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9-विज्ञापन	---	
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---	
पूरक	---	
पूरक-क	---	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

5 अप्रिल 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (म०) जहा०-01/2018-434667—श्री चन्द्रभूषण गुप्ता (अनु०क्र०-118945), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-48 दिनांक 12.01.2019 द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-453939 दिनांक 17.01.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

आरोप पत्र में श्रीमती कुंती देवी, पति श्री चेतनारायण सिंह, ग्राम-कल्या खूँद, पंचायत-कल्या जिला-जहानाबाद को इंदिरा आवास की सूची में नाम रहने के बावजूद इंदिरा आवास का लाभ नहीं देने का उल्लेख है। श्रीमती कुंती देवी का नाम पहचान संख्या-4063, BPL स्कोर 11 के साथ क्रमांक-0625 पर BPL सूची में दर्ज है। परन्तु श्री गुप्ता के द्वारा BPL सूची में श्रीमती कुंती देवी के क्रमांक को छोड़कर नीचे के क्रमांक वाले लाभार्थी को इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है जो विभागीय दिशा-निर्देश के विपरीत एवं स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध है।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री गाँधी ठाकुर विकलांग श्रेणी में तथा BPL सूची में इनका क्रमांक 883 पर अंकित है। परिवादिनी श्रीमती कुंती देवी, पति चेतनारायण सिंह ग्राम-कल्या खूँद, पंचायत कल्या का नाम BPL सूची के क्रमांक 625 पर अंकित है। जिन लाभार्थी को क्रम तोड़कर लाभ देने के उल्लेख है वे लाभुक विकलांग (सामान्य) श्रेणी के हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित नहीं होता है कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री चन्द्रभूषण गुप्ता द्वारा क्रम तोड़कर इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया है।

श्री चन्द्रभूषण गुप्ता तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष प्रतिवेदन के आलोक में उनपर लगाए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री चन्द्रभूषण गुप्ता (अनु०क्र०-118945), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद को सरकारी योजनाओं के निष्पादन में भविष्य में सचेष्ट रहने का निदेश देते हुए आरोप मुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

5 अप्रिल 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (म०) जहा०-वि०स०-04/2016-433925—श्री बबलु कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद सम्प्रति सहायक परियोजना पदाधिकारी, अररिया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-2293 दिनांक 20.11.2016 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र, उप विकास आयुक्त, गया के पत्रांक-3300 दिनांक 17.11.2018 के द्वारा प्राप्त आरोप पत्र एवं जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-2048 दिनांक 22.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित आरोप की वृहत जांच हेतु संकल्प संख्या 447509 दिनांक 19.11.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोप के कई बिन्दुओं को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों पर श्री बबलु कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद एवं बेलागंज, गया सम्प्रति सहायक परियोजना पदाधिकारी, अररिया का लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किया गया।

आरोप पत्रों में धारित आरोपों, संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन तथा श्री कुमार के लिखित अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री बबलु कुमार के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ढिलाई बरती गई।

अतः श्री बबलु कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद एवं बेलागंज, गया सम्प्रति सहायक परियोजना पदाधिकारी, अररिया के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि इस दंड की प्रविष्टि श्री कुमार के सेवा पुस्त में की जाय ।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि कार्यालय आदेश की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

5 अप्रैल 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (मु०) लखी०-02/2019-434334—श्री अभिषेक कुमार प्रभाकर (अनु०क्र०- 207560), ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा, लखीसराय के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक- 619 दिनांक- 09.06.2020 द्वारा गठित आरोप पत्र में ग्राम पंचायत राज श्रीकिशुन, प्रखंड सूर्यगढ़ा, जिला- लखीसराय में हर घर जल योजना में 21,11,100/- (इक्कीस लाख ग्यारह हजार एक सौ रूपये कुल) गलत खाता में हस्तांतरित होने के उपरान्त राशि वापस करने के प्रति संवेदनशील नहीं रहने का आरोप धारित है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत टोरलपुर में लगभग 8 माह तक 49,27,474 (उन्चास लाख सताईस हजार चार सौ चौहत्तर रूपये कुल) अवैध तरीके से अग्रिम के रूप में निकाली गई राशि को वापस लेने हेतु लापरवाही बरतने का आरोप गठित है।

उक्त आरोप पर श्री प्रभाकर से स्पष्टीकरण की मांग की गई। अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने स्पष्ट किया है कि दिनांक 18.02.2019 को श्रीकिशुन के पंचायत सचिव श्री सुधीर महतो के आवेदन/प्रतिवेदन प्राप्त होते ही उनके द्वारा पत्रांक 577 दिनांक 22.02.2019 से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय/जिला पदाधिकारी, लखीसराय को सूचना दी गई। श्री महतो से स्पष्टीकरण भी पूछा गया जिसका जबाब उनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया। तत्पश्चात् ओरियंटल बैंक शाखा लखीसराय से पत्राचार कर एवं व्यक्तिगत रूप से शाखा प्रबंधक से मिलकर राशि ग्राम पंचायत श्रीकिशुन के खाते में वापस कराई गयी।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत टोरलपुर के संबंध में श्री प्रभाकर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा सूर्यगढ़ा प्रखंड का प्रभार दिनांक 18.06.2018 को ग्रहण किया गया तथा दिनांक 29.05.2017 से दिनांक 20.01.2018 तक आठ माह तक अवैध निकासी की गई। अतः उनके कार्यकाल में अवैध निकासी का आरोप निराधार एवं सत्य से परे है। तत्कालीन पंचायत सचिव उनके प्रभार ग्रहण करने के पूर्व से ही दिनांक 25.05.2018 से सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 82/2018 में दर्ज प्राथमिकी के पश्चात् जेल में थे। जेल से छूटने के उपरान्त तत्कालीन मुखिया तथा पंचायत सचिव को राशि वापस करने हेतु प्रेरित किया गया। इस संबंध में उच्चाधिकारी से मार्गदर्शन हेतु अनुरोध भी किया गया। उक्त के आधार पर श्री प्रभाकर द्वारा उन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री प्रभाकर के विरूद्ध गठित आरोप एवं समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त स्पष्ट है कि श्री प्रभाकर के द्वारा अस्थायी रूप से गबनित राशि वापस सही खाते में वापस ली गयी। किन्तु ग्राम पंचायत टोरलपुर के मामले में उनके द्वारा के पत्राचार की खानापूर्ति की गयी।

अतः अस्थायी वित्तीय विचलन जैसे मामलों में लापरवाही बरतने के लिए श्री अभिषेक कुमार प्रभाकर, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा, जिला- लखीसराय के विरूद्ध चेतावनी की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री अभिषेक कुमार प्रभाकर (अनु०क्र०- 207560), ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा, लखीसराय के विरूद्ध चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री प्रभाकर के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 4-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचनाएं

10 सितम्बर 2020

सं० 1197—माँ अम्बिका महारानी मंदिर, आँमी, थाना-दिघवारा, जिला-सारण पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-3631 है।

इस न्यास की सूचारु प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु इस मंदिर के संचालन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-1283, दिनांक 15.11.2007 द्वारा 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था तथा पर्षदीय आदेश ज्ञापांक-1747, दिनांक 27.12.2012 द्वारा नयी समिति के गठन तक इसका कार्यकाल विस्तार किया गया।

नयी समिति गठन हेतु जिला पदाधिकारी, सारण से 11 नामों की मांग की गयी थी जो जिला पदाधिकारी द्वारा वर्ष 2017 प्राप्त कराया गया पुनः वर्ष 2018 में जिला पदाधिकारी द्वारा कुछ नामों में संशोधन करते हुए नयी सूची पर्षद को उपलब्ध करायी इसी बीच ग्रामीणों द्वारा जन प्रतिनिधि की अध्यक्षता में 11 नामों का प्रस्ताव पर्षद को भेजा गया उपरोक्त प्राप्त तीनों सूचियों को अनुमंडल पदाधिकारी को विचार कर उनमें से या नये नाम जिन्हें वे उचित समझे भेजने का निर्देश दिया गया। उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-233, दिनांक-26.08.2020 द्वारा 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव भेजा है।

उपरोक्त परिस्थिति एवं पर्षदीय आदेश दिनांक-05.09.2020 के आलोक में उक्त मठ के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, सूचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु एक नवीन न्यास समिति का गठन किया जाना है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं०-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए माँ अम्बिका महारानी मंदिर, आँमी, थाना-दिघवारा, जिला-सारण की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “माँ अम्बिका महारानी मंदिर, आँमी, थाना-दिघवारा, जिला-सारण न्यास योजना होगा” तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “माँ अम्बिका महारानी मंदिर, आँमी, थाना-दिघवारा, जिला-सारण न्यास समिति” होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलान, बिक्रय, रेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही न्यास समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हें सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. न्यास समिति न्यास परिसर के अन्दर के दुकानों आदि को सुव्यवस्थित करेगी और मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु आवश्यक समुचित कार्रवाई पर्षद से अनुमति प्राप्त कर करेगी किन्तु इसमें मंदिर के प्राचीनतम स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

14. अध्यक्ष के अनुपस्थिति/व्यस्तता में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष को सूचित कर न्यास समिति की बैठक बुलाएंगे तथा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

1. आयुक्त, सारण	—	पदेन-अध्यक्ष
2. श्री भीमनाथ तिवारी पिता स्व० कुबेर तिवारी	—	उपाध्यक्ष
3. श्रीमति आशा देवी पति हरिश तिवारी	—	सचिव
4. श्री राजन महतो पिता स्व० दिना महतो	—	सदस्य
5. श्री राकेश कुमार सिंह पिता स्व० मदनमोहन सिंह	—	सदस्य
6. श्री जर्नादन सिंह चौहान पिता स्व० प्रहलाद सिंह	—	सदस्य
7. श्री श्रवण साह पिता स्व० भुनेश्वर साह	—	सदस्य
8. श्री रवि कुमार राम पिता श्री हरेन्द्र राम	—	सदस्य
9. थानाध्यक्ष, दिघवारा	—	पदेन-सदस्य

पता :- ऑमी, थाना-दिघवारा, जिला-सारण।

NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम माँ अम्बिका महारानी मंदिर, ऑमी, थाना-दिघवारा, जिला-सारण पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

न्यास समिति के सचिव अधिसूचना की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर न्यास समिति की प्रथम बैठक बुलाकर कोषाध्यक्ष का चुनाव कर पर्षद को सूचित करेंगे

इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से (02) दो वर्ष का होगा। न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से किया जाता है, पर्षद के गठन हो जाने के पश्चात् इसको स्थाई किये जाने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

23 नवम्बर 2020

सं० 1910—श्री बाबा भीमनाथ महादेव मठ, ग्राम-भगवानपुर, थाना-गुठनी, जिला-सिवान पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-485 है।

इस न्यास की सूचारु प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-205 दिनांक 09.05.2012 न्यास समिति का गठन पाँच वर्षों के लिए किया गया था, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया। नवीन न्यास समिति गठन हेतु अंचल अधिकारी, गुठनी, जिला-सिवान के पत्रांक-462 दिनांक-06.07.2020 द्वारा 12 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षद को प्राप्त हुआ। न्यास समिति के प्रस्ताव जो प्राप्त हुआ है, इन्हीं प्रस्तावित व्यक्तियों द्वारा ही मठ की भूमि बचाये जाने के संबंध में लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तावित नामों का सत्यापन भी प्राप्त हो गया है। यद्यपि कि प्रस्तावित नामों का कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा का उल्लेख सत्यापन रिपोर्ट में किया गया है, परन्तु सचिव द्वारा कथन किया गया कि उक्त वाद मंदिर की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए व्यक्तियों द्वारा ही समिति के सदस्यों को परेशान करने के उद्देश्य से गलत व असत्य घटना दिखाकर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मंदिर के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं०-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री

बाबा भीमनाथ महादेव मठ, ग्राम-भगवानपुर, थाना-गुठनी, जिला-सिवान की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए आदेश दिनांक-29.10.2020 के आलोक में एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री बाबा भीमनाथ महादेव मठ, ग्राम-भगवानपुर, थाना-गुठनी, जिला-सिवान न्यास योजना होगा”** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“श्री बाबा भीमनाथ महादेव मठ, ग्राम-भगवानपुर, थाना-गुठनी, जिला-सिवान न्यास समिति”** होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलान, बिक्रय, रेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही न्यास समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हें सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की अस्थायी न्यास समिति गठित की जाती है :-

1. श्री अखिलेन्द्र द्विवेदी उर्फ राजन द्विवेदी पिता स्व० विश्वनाथ द्विवेदी ग्राम-चकरी, थाना-दरौली	—	अध्यक्ष
2. श्री मोतीचन्द चौधरी पिता स्व० पुजा चाधरी, ग्राम-भगवानपुर	—	सचिव
3. श्री अभय यादव पिता श्री राजेन्द्र यादव, ग्राम-भगवानपुर	—	सदस्य
4. श्री सुरेश सिंह पिता स्व० रामलखण सिंह, ग्राम-जतौर	—	सदस्य
5. श्री भीम पटेल पिता स्व० बासदेव पटेल, ग्राम-भगवानपुर	—	सदस्य
6. हरेन्द्र राम पिता स्व० राजमन राम, ग्राम-भगवानपुर	—	सदस्य
7. श्री मुस्तिनाथ पाण्डेय पिता स्व० अवधविहारी पाण्डेय, ग्राम-भगवानपुर	—	सदस्य
8. श्री ओम प्रकाश लाल पिता स्व० शिवसरन लाल, ग्राम-भगवानपुर	—	सदस्य
9. श्री रामचन्द्र ठाकुर उर्फ टेंगरी ठाकुर पिता स्व० इन्द्रदेव ठाकुर, ग्राम-भगवानपुर	—	सदस्य
10. श्री सुनिल कुमार यादव पिता श्री मोती चन्द चौधरी, ग्राम-भगवानपुर	—	सदस्य
11. श्री सत्यदेव सिंह पिता स्व० नगिना सिंह, ग्राम-जतौर	—	सदस्य

NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम "श्री बाबा भीमनाथ महादेव मठ, ग्राम-भगवानपुर, थाना-गुठनी, जिला-सिवान" पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

सभी ग्राम-भगवानपुर, पो0-महुआ, थाना-गुठनी, जिला-सिवान उपर्युक्त सभी सदस्य एक बैठक कर कोषाध्यक्ष का चयन कर पर्षद को सूचित करेंगे। उपरोक्त न्यास समिति का गठन अस्थाई रूप से किया जाता है, पर्षद के गठन हो जाने के पश्चात् इसको स्थाई किये जाने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

24 नवम्बर 2020

सं0 1944—पटना जिलान्तर्गत उलार सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार पटना, अंचल—दुल्हिन बाजार, पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—678 है।

इस न्यास के न्यासधारी महंत श्री अवध बिहारी दास जी हैं। श्री अवध बिहारी दास जी को तुलसी नगर अयोध्या द्वारा दिनांक 05.02.2019 को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसका सत्यापन कार्यालय द्वारा भी कराया गया, जिसपर श्री अजय प्रसाद सिंह कार्यालय सचिव, श्री विहुअती भवन सेवा केन्द्र समिति अयोध्या द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.02.2020 को पर्षद को सूचित किया गया कि उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2019 इनकी समिति द्वारा ही जारी किया गया है। पर्षद में अबतक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मंदिर में न्यासधारी पुजारी महंत होने का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में महंत अवध बिहारी दास को इस न्यास का न्यासधारी नियुक्त किया गया तथा न्यास की व्यवस्था हेतु एक न्यास समिति के गठन किये जाने का निर्णय पर्षद द्वारा दिनांक 15.02.2020 को लिया गया। साथ ही महंत जी को निर्देश दिया गया कि अपने साथ मंदिर के अच्छे प्रशासन हेतु तीन व्यक्तियों का नाम जो धार्मिक एवं अच्छे छवि के हो प्रस्तुत करें। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी से स्वच्छ छवि के पाँच लोगों के नामों की मांग की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक—807 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा पाँच सदस्यों का नाम प्रेषित किया साथ ही महंत अवध बिहारी दास ने चार व्यक्तियों का नाम पर्षद में प्रस्तुत किया। उपरोक्त दोनों सूचीयों को चरित्र सत्यापन हेतु पर्षदीय पत्रांक—887 दिनांक 29.08.2020 तथा पत्रांक—1023 दिनांक 01.09.2020 प्रेषित किया गया, जिसकी रिपोर्ट अप्राप्त रही अतः दोनों पक्षों की सहमती से चयनित 09 सदस्य न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से किये जाने का निर्णय किया गया, सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त स्थायी करने पर निर्णय लिया जायेगा।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **पटना जिलान्तर्गत उलार सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार पटना, अंचल—दुल्हिन बाजार, अंचल—पालीगंज** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "**पटना जिलान्तर्गत उलार सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार पटना, अंचल—दुल्हिन बाजार, अंचल—पालीगंज न्यास योजना होगा**" तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "**पटना जिलान्तर्गत उलार सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार पटना, अंचल—दुल्हिन बाजार, न्यास समिति**" होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय—व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप—विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय—व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलान, बिक्रय, रेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही न्यास समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू—सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हें सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास अस्थायी समिति गठित की जाती है :-

1. महंत अवध बिहारी दास	—	महंथ-सह-संरक्षक
2. अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज	—	पदेन अध्यक्ष
3. श्री सुरेश सिंह पिता स्व० कैलाश सिंह	—	उपाध्यक्ष
4. श्री प्रमोद अवतार चन्द्रवंशी पिता स्व० गनौरी प्रसाद	—	सचिव
5. श्री अरविन्द कुमार सुमन पिता श्री रामबालक यादव	—	कोषाध्यक्ष
6. श्री महेन्द्र सिंह पिता स्व० बच्चू सिंह	—	सदस्य
7. श्री विद्या सिंह पिता स्व० कपिल देव सिंह	—	सदस्य
8. श्री विनय कुमार पिता सिद्धेश्वर प्रसाद	—	सदस्य
9. श्री सुरज पासवान	—	सदस्य

उलार सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार पटना, अंचल-दुल्हिन बाजार, अंचल-पालीगंज, जिला-पटना।

NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम पटना जिलान्तर्गत उलार सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार पटना, अंचल-दुल्हिन बाजार, पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

उपरोक्त न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से किया जाता है कि पर्षद के गठन हो जाने के पश्चात् इनको स्थाई किये जाने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

24 नवम्बर 2020

सं० 1938—बिनपुरवा, सन्यासी आश्रम, ग्राम-बिनपुरवा, पो०-बदुपर, थाना-रामगढ़, जिला-कैमूर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-232 है।

इस न्यास की सूचारु प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना पत्रांक 1322, दिनांक 13.01.2011 द्वारा एक न्यास समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल पौंच वर्षों का था। न्यास समिति पूर्व न्यास समिति का कार्यकाल संतोषजनक था, परन्तु बाद में समिति के अध्यक्ष तथा सचिव के हित विरुद्ध कार्य करना प्रारम्भ कर दिया तथा पर्षद में से भी कोई पत्राचार आय-व्यय विवरणी पर्षद शुल्क आदि दाखिल नहीं किया। पर्षद को यह भी शिकायत प्राप्त हुयी कि सचिव तथा उनके भाई द्वारा मठ की भूमि पर अतिक्रमण कर कुछ कच्चा निर्माण किया गया है। इस बीच ग्रामीणों द्वारा दिनांक 01.07.2019 को एक बैठक कर 11 व्यक्तियों का नामों का प्रस्ताव पर्षद को दिनांक-08.08.2019 को प्राप्त कराया गया, प्राप्त नामों का चरित्र सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष को पर्षदीय पत्रांक-1281 दिनांक 25.10.2019 एवं पत्रांक-1209 दिनांक 14.09.2020 के द्वारा स्मार-पत्र प्रेषित किया गया। थाना प्रभारी, रामगढ़, जिला-कैमूर का पत्र डी० आर० नं०-2033 दिनांक 02.10.2020 द्वारा प्राप्त हुआ।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं०-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए बिनपुरवा, सन्यासी आश्रम, ग्राम-बिनपुरवा, पो०-बदुपर, थाना-रामगढ़, जिला-कैमूर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “बिनपुरवा, सन्यासी आश्रम, ग्राम-बिनपुरवा, पो०-बदुपर, थाना-रामगढ़, जिला-कैमूर न्यास योजना होगा” तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “बिनपुरवा, सन्यासी आश्रम, ग्राम-बिनपुरवा, पो०-बदुपर, थाना-रामगढ़, जिला-कैमूर न्यास समिति” होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलान, बिक्रय, रेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही न्यास समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हें सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास अस्थायी समिति गठित की जाती है :-

1. श्री राजा राम बिन्द पिता स्व० टेगड़ी बिन्द
2. श्री शिव प्ररर्सन बिन्द पिता स्व० सरजु बिन्द
3. श्री बिजेन्द्र बिन्द पिता श्री बिन्द
4. श्री राजेन्द्र चन्द्रवंशी पिता श्री धारी चन्द्रवंशी
5. श्री रामजी मुशहर पिता स्व० बदलु मुशहर
6. श्री बिनोद बिन्द पिता राम नगिना बिन्द
7. श्री कृष्ण पटेल पिता स्व० धुरफेन पटेल

NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम बिनपुरवा, सन्यासी आश्रम, ग्राम-बिनपुरवा, पो०-बदुपर, थाना-रामगढ़, जिला-कैमूर पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

उपरोक्त न्यास समिति अपनी बैठक में अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन कर आपसी सहमती से पर्षद को अनुमोदन हेतु पर्षद को प्रेषित करेंगी।

भवदीय,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

24 नवम्बर 2020

सं० 1942—श्री शिव मंदिर, ग्राम-चांदोरुईया, पो०-अखलासपुर, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर, पिन कोड-821101. पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-3646 है।

इस न्यास की सूचारु प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना पत्रांक-2019 दिनांक 11.01.2010 के द्वारा न्यास समिति का गठन किया गया था। जिसका कार्यकाल पाँच वर्षों का था, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है।

पर्षदीय पत्रांक-619 दिनांक 03.09.2019 द्वारा अंचलाधिकारी भभुआ जिला-कैमूर से नवीन न्यास समिति गठन हेतु 11 सदस्यों का नाम प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

पुनः पर्षदीय पत्रांक-2523 दिनांक 25.01.2020 के द्वारा अंचलाधिकारी को स्मार-पत्र दिया गया, जिसके अनुपालन में अंचलाधिकारी, भभुआ का पत्रांक-734 दिनांक 06.03.2020 पर्षद को 11 हिन्दू सज्जनों के नाम की एक सूची प्राप्त हुयी। प्राप्त सूची का पर्षद द्वारा पत्रांक-277 दिनांक 29.05.2020 के माध्यक्ष से चरित्र सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष भभुआ को प्रेषित किया गया। पुनः पर्षदीय पत्रांक-637 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा स्थानीय जनता से प्राप्त सूची का चरित्र सत्यापन प्रेषित किया गया। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर पुनः पत्रांक-1219 दिनांक 14.09.2020 द्वारा स्मार-पत्र थानाध्यक्ष, भभुआ को प्रेषित किया गया, जिसके अनुपालन में थाना सदर जिला-कैमूर का पत्र डी0 आर0-8405 दिनांक 04.10.2020 जिसमें लिखा गया कि थाना अभिलेख में इनके विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं पायी गयी। प्रस्तावित समिति के एक सदस्य जमुना पासवान ने पर्षद को अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.03.2020 द्वारा समिति में न रखने का अनुरोध किया क्योंकि वह बाहर जाकर काम करते थे।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मंदिर के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री शिव मंदिर, ग्राम-चांदोरुईया, पो0-अखलासपुर, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री शिव मंदिर, ग्राम-चांदोरुईया, पो0-अखलासपुर, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर न्यास योजना होगा” तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री शिव मंदिर, ग्राम-चांदोरुईया, पो0-अखलासपुर, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर न्यास समिति” होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास समिति को निर्देश दिया जाता है कि की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा जिसका संचालन उपध्यक्ष/कोषाध्यक्ष के नाम से संयुक्त रूप से किया जाता है।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलान, बिक्रय, रेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही न्यास समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिकित्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हें सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. अनुमंडल पदाधिकारी, | — | पदेन अध्यक्ष |
| 2. श्री रामनुज कुमार पिता शिव पुजन प्रसाद | — | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री राम सागर राम पिता चेखुरी राम | — | सचिव |

4. श्री जवाहर बिन्दु पिता स्व० शिव राम बिन्दु	—	कोषाध्यक्ष
5. श्री अक्षय कुमार पिता शोभनाथ बिन्दु	—	सह-कोषाध्यक्ष
6. श्री राजू बिन्दु पिता स्व० गुरुचरण बिन्दु	—	सदस्य
7. श्री संत कुमार सिंह पिता स्व० शिव पुजन सिंह	—	सदस्य
8. श्री अमर कुमार पिता राम अवध प्रसाद	—	सदस्य
9. श्री गौतम कुमार पिता गुदन बिन्दु	—	सदस्य
10. श्री मदयी कुमार पिता मुन्शी बिन्दु	—	सदस्य
11. श्री रघुराई कुमार पिता शिव मंगल बिन्दु	—	सदस्य

उपरोक्त सभी ग्राम-चांदौरईया, पो०-अखलासपुर, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर, पिन कोड-821101.

NOTE:-राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम "श्री शिव मंदिर, ग्राम-चांदौरईया, पो०-अखलासपुर, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर" पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

उपरोक्त न्यास समिति का गठन अस्थाई रूप एक वर्ष के लिए किया जाता है और एक वर्ष के क्रिया-कलाप को देखकर स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

17 सितम्बर 2020

सं० 1242—श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पो०-बल्हा, था०+अं०-कुशेश्वर स्थान (पश्चिम), जिला-दरभंगा, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०- 4498 है।

इस न्यास की सुचारु व्यवस्था हेतु अंचलाधिकारी, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा से नाम मांगे जाने पर 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक 16/01/2020 को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्तावित नामों का चरित्र-सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष, कुशेश्वर स्थान को दिनांक 10/02/2020 एवं स्मार-पत्र दिनांक 26/08/2020 द्वारा चरित्र-सत्यापन रिपोर्ट की मांग की गई, जो अभी तक अप्राप्त है। चूंकि वर्तमान में उक्त मंदिर तथा उसकी भूमि की सुरक्षा तथा व्यवस्था हेतु न तो कोई व्यक्ति है और न ही कोई समिति है, अतः केवल चरित्र-सत्यापन रिपोर्ट न मिलने के आधार पर न्यास समिति के गठन के प्रस्ताव को स्थगित रखना उचित प्रतीत नहीं लगता है। उपरोक्त परिस्थितियों में अंचलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित सदस्यों की न्यास समिति गठन करने का निर्णय लिया गया है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए "श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पो०- बल्हा, था०+अं०- कुशेश्वर स्थान (पश्चिम), जिला- दरभंगा" के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, ग्राम+पो०- बल्हा, था०+अं०- कुशेश्वर स्थान (पश्चिम), जिला- दरभंगा" होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, ग्राम+पो०- बल्हा, था०+अं०- कुशेश्वर स्थान (पश्चिम), जिला- दरभंगा" होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

5. मठ/मंदिर परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है। थानाध्यक्ष से चरित्र-सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं बोर्ड का गठन होने के पश्चात न्यास समिति को नियमित करने पर विचार किया जायेगा:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. श्री रामश्रृंगार सिंह पिता- स्व० वासुदेव सिंह | — अध्यक्ष |
| 2. श्री रामाकान्त सिंह पिता- श्री रामस्वरूप सिंह | — सचिव |
| 3. श्री राणा जवाहर सिंह पिता- स्व० जीवछ सिंह | — कोषाध्यक्ष |
| 4. श्री रामाकांत शर्मा पिता- स्व० रामनंदन शर्मा | — सदस्य |
| 5. श्री नारायण कमती पिता- स्व० तेतर कमती | — सदस्य |
| 6. श्री प्रवीण राम पिता- श्री भागो राम | — सदस्य |
| 7. श्री विजय सदा पिता- स्व० भोला सदा | — सदस्य |
| 8. श्री राम विलास साह पिता- स्व० त्रिवेणी साह | — सदस्य |
| 9. श्री अशोक राम पिता- श्री पीताम्बर राम | — सदस्य |
| 10. श्री राम सुन्दर पासवान पिता- स्व० राजकुमार पासवान | — सदस्य |

सभी ग्रामीण- बल्हा, था०+अं०- कुशेश्वर स्थान (पश्चिम), जिला- दरभंगा।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि "श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पो०-बल्हा, था०+अं०- कुशेश्वर स्थान (पश्चिम), जिला- दरभंगा" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:-न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य, न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलाने/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

22 सितम्बर 2020

सं० 1294—श्री राम लक्ष्मण जानकी मठ, ग्राम+पो०- फतेहपुरवाला, अं०- ताजपुर, था०- मुसरीघरारी, जिला- समस्तीपुर, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०- 4538 है।

उपरोक्त न्यास के देख-रेख पूर्व में महंत श्री रास बिहारी दास एवं श्री सियाराम दास संयुक्त रूप से करते थे। श्री सियाराम दास द्वारा सहदेव दास को चेला नियुक्त किया, पुनः दिनांक 30/12/2002 को निबंधित दस्तावेज द्वारा श्री रामानंद दास को चेला महंत नियुक्त किया। निबंधित दस्तावेज दिनांक 30/12/2002 के आलोक में श्री रामानंद दास को पर्षद के आदेश दिनांक 04/03/2020 द्वारा अस्थायी महंत के रूप में 01 वर्ष के लिए महंत नियुक्त करते हुए मंदिर की कूल भूमि लगभग 8 बीघा है, जिसमें आम, नींबू, केला का बगान भी है तथा खेती की भूमि है, जिसकी बंदोवस्ती द्वारा प्राप्त आय-व्यय का स्पष्ट लेखा-जोखा, व्यय आदि की विवरणी के साथ पर्षद के समक्ष उपस्थापित करने और संतोषजनक कार्य पाये जाने पर पर्षद द्वारा अग्रिम आदेश पर विचार करने का आदेश पारित किया गया था।

उक्त आदेश के उपरांत श्री अमरेश कुमार मेहता द्वारा 10 अन्य व्यक्तियों का हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 17/07/2020 को प्राप्त कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मंदिर और मंदिर की भूमि 03 माह की कुल आमदनी लगभग 3,42,500/- रु० होता है। इस तरह एक में लगभग 10 लाख की आमदनी होगी। दुसरी तरफ महंत रामानंद दास द्वारा शिकायतकर्त्तों के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि शिकायतकर्त्ता अपराधिक प्रवृत्ति के हैं तथा मंदिर की भूमि को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं और इस संबंध में मैं धारा-107 की कार्यवाई भी कुछ व्यक्तियों के

विरुद्ध की गई, जिसमें पुलिस का रिपोर्ट है कि विपक्षीगण मठ की भूमि को हड़पने के लिए प्रयासरत हैं। श्री रामानंद दास की स्वयं स्वीकृति है कि लगभग 18 वर्षों से उक्त मंदिर में रहकर इनके द्वारा 05-06 कमरों का निर्माण कराया गया है तथा यह भी स्वीकार करते हैं कि उन कमरों में इनका परिवार रहता है किंतु राम लक्ष्मण जानकी मंदिर की स्थिति अभी भी जर्जर बनी हुई है।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मंदिर के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री राम लक्ष्मण जानकी मठ, ग्राम+पो०- फतेहपुरवाला, अं०- ताजपुर, था०- मुसरीघरारी, जिला- समस्तीपुर” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम लक्ष्मण जानकी मठ न्यास योजना, ग्राम+पो०- फतेहपुरवाला, अं०- ताजपुर, था०- मुसरीघरारी, जिला- समस्तीपुर” होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राम लक्ष्मण जानकी मठ न्यास समिति, ग्राम+पो०- फतेहपुरवाला, अं०- ताजपुर, था०- मुसरीघरारी, जिला- समस्तीपुर” होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

5. मठ/मंदिर परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्वद को सम्यक् प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्वद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिकवियर्स की पूर्ति का अधिकार पर्वद में निहित होगा।

17. महंत श्री रामानंद दास को यह अधिकार होगा कि मंदिर की पूजा-पाठ, राग-भोग मंदिर की भूमि में निर्मित कमरों में रहकर करेंगे तथा मंदिर की भूमि को रखकर, बैंक से ऋण लेकर जो गाय क्रय किये हैं, उसमें 5 गायें अभी भी हैं, जो 40-45 लीटर दूध देती है, उन पशुओं की देख-रेख भी महंत जी स्वयं करेंगे एवं उससे प्राप्त आय भी अपने व्यक्तिगत उपयोग में ला सकेंगे।

18. जमीन तथा बगानों की बंदोवस्ती खुली डाक द्वारा होगी, जिसकी पंजी संधारित की जायेगी एवं उक्त भूमि से होने वाली आय में से न्यास समिति 3,000/- रु प्रतिमाह महंत श्री रामानंद दास को मंदिर में राग-भोग, पूजा-पाठ या उनके व्यक्तिगत व्यय के रूप में देंगे और उसकी रसीद प्राप्त करेंगे।

19. खेती की भूमि, नींबू, केला, आम का बगान का वृक्ष है, उसकी देख-रेख समिति द्वारा की जाएगी, जिसका आय-व्यय विवरण पर्वद के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेंगे तथा मंदिर की किसी भी भूमि को न हो तो अतिक्रमण करेंगे और न ही किसी को अतिक्रमण करने देंगे एवं न ही उसका विक्रय करेंगे।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित 07 सदस्यों की न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है। बोर्ड का गठन होने के पश्चात न्यास समिति को नियमित करने पर विचार किया जायेगा:-

- | | |
|--|----------------|
| 1. अंचलाधिकारी, ताजपुर, जिला- समस्तीपुर | — पदेन अध्यक्ष |
| 2. श्री विष्णुदेव प्रसाद सिंह पिता- श्री फुद्दी लाल सिंह | — उपाध्यक्ष |
| 3. श्री चन्देश्वर पद्माद सिंह पिता- स्व० एकनाथ सिंह- | — सचिव |
| 4. श्री लक्ष्मण सिंह पिता- स्व० सुखदेव सिंह | — कोषाध्यक्ष |
| 5. श्रीमती मुन्नी देवी पति- श्री रघुनाथ दास | — सदस्य |
| 6. श्री राज किशोर सिंह पिता- स्व० आनंदी सिंह | — सदस्य |
| 7. श्रीमती रेणु कुमार पति- श्री संजय सिंह | — सदस्य |

पता- ग्राम- फतेहपुर वाला, अं०- ताजपुर, था०- मुसरीघरारी, जिला- समस्तीपुर।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि "श्री राम लक्ष्मण जानकी मठ, ग्राम+पो०- फतेहपुरवाला, अं०- ताजपुर, था०- मुसरीघरारी, जिला- समस्तीपुर" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:-न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य, न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलाने/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

7 दिसम्बर 2020

सं० 2180—श्री शिव मंदिर (बाबा बर्द्धवानेश्वरनाथ), ग्राम- देकुली, पो०- लहेरियासराय, था०+अं०- बहादुरपुर, जिला- दरभंगा, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०- 4542 है।

उक्त न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्वदीय पत्रांक- 2746, दिनांक 10/02/2020 द्वारा अंचलाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा से न्यास समिति गठन वास्ते अधिकतम ग्यारह हिन्दू सज्जनों का नाम प्रस्तावित करने का आग्रह किया गया था, जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, बहादुरपुर का प्रतिवेदन पत्रांक- 536, दिनांक 16/03/2020 प्राप्त हुआ, जिसका सत्यापन प्रतिवेदन भी संबंधित थाना से दिनांक 08/09/2020 को प्राप्त हो चुका है, जिसमें किसी प्रस्तावित व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास या शिकायत थाना पर दर्ज नहीं है, का उल्लेख है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मंदिर के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा उसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए "श्री शिव मंदिर (बाबा बर्द्धवानेश्वरनाथ), ग्राम- देकुली, पो०- लहेरियासराय, था०+अं०- बहादुरपुर, जिला-दरभंगा" के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "श्री शिव मंदिर (बाबा बर्द्धवानेश्वरनाथ) न्यास योजना, ग्राम- देकुली, पो०- लहेरियासराय, था०+अं०- बहादुरपुर, जिला- दरभंगा" होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "श्री शिव मंदिर (बाबा बर्द्धवानेश्वरनाथ) न्यास समिति, ग्राम- देकुली, पो०- लहेरियासराय, था०+अं०- बहादुरपुर, जिला- दरभंगा" होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

5. मठ/मंदिर परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए अंचलाधिकारी, बहादुरपुर द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है तथा पर्षद का गठन होने के पश्चात न्यास समिति को नियमित करने पर विचार किया जायेगा:-

- | | |
|--|---------------|
| 1. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, जिला- दरभंगा | -पदेन अध्यक्ष |
| 2. श्री राम उचित झा पिता- स्व० रामगोविन्द झा, ग्रा०- देकुली, पो०- लहेरियासराय, दरभंगा | - उपाध्यक्ष |
| 3. श्री मोहन झा पिता- स्व० चन्द्रकान्त झा, ग्रा०- देकुली, पो०- लहेरियासराय, दरभंगा | - सचिव |
| 4. श्री भवीक्षण महतो पिता- स्व० अनूप महतो, ग्रा०- देकुली, पो०- लहेरियासराय, दरभंगा | - कोषाध्यक्ष |
| 5. श्री अमरजी झा पिता- स्व० केदार झा, ग्रा०- देकुली, पो०- लहेरियासराय, दरभंगा | - सदस्य |
| 6. श्रीमती गीता देवी पति- श्री राम लखन पासवान, ग्रा०- कबीलपुर, पो०- बहादुरपुर, दरभंगा | - सदस्य |
| 7. श्री अभिराम झा पिता- स्व० बीर बहादुर झा, ग्रा०- देकुली, पो०- लहेरियासराय, दरभंगा | - सदस्य |
| 8. श्री त्रिभुवन झा पिता- स्व० देवेन्द्र झा, ग्रा०- देकुली, पो०- लहेरियासराय, दरभंगा | - सदस्य |
| 9. श्री नन्दलाल ठाकुर पिता- स्व० रकटू ठाकुर, ग्रा०+पो०+था०- बहादुरपुर, दरभंगा | - सदस्य |
| 10. श्री शत्रुघ्न कामती पिता- स्व० परमेश्वर कामती, ग्रा०- देकुली, पो०- लहेरियासराय, दरभंगा | - सदस्य |
| 11. श्री हरिश्चन्द्र पासवान पिता- श्री अर्जुन पासवान, ग्रा०- क्वाही मिर्जापुर, पो०- लहेरियासराय- सदस्य | - सदस्य |

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि "श्री शिव मंदिर (बाबा बद्धवानेश्वरनाथ), ग्राम- देकुली, पो०- लहेरियासराय, था०+अं०- बहादुरपुर, जिला- दरभंगा" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:-न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य, न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलान/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

7 दिसम्बर 2020

सं० 2176—श्री शिव मंदिर, ग्राम- आलमपुर, पो०- गढ़सिसई, था०- विद्यापतिनगर, जिला- समस्तीपुर, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०-3559 है।

इस न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु एक न्यास समिति का गठन पर्षद द्वारा दिनांक 18/03/04 को किया गया था। पूर्व में न्यास समिति द्वारा आय-व्यय विवरण भी दाखिल किया जाता था, परंतु पिछले कुछ वर्षों से न्यास समिति द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीणों द्वारा दिनांक 04/01/2015 को एक आम सभा की बैठक की गई, जिसमें

निर्णय लिया गया कि पूर्व न्यास समिति के 03 सदस्यों का स्वर्गवास हो गया है तथा कुछ सदस्य अपनी शारीरिक स्थिति के कारण सक्षम नहीं हैं। नई न्यास समिति में 11 लोगों को प्रस्ताव के साथ बनाए जाने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 02/09/2016 को पर्षद में उपलब्ध कराया गया था, जिसपर पूर्व कमिटी के सदस्यों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था, परंतु वे उपस्थित नहीं हुए। पषदीय पत्र दिनांक 14/05/2018 द्वारा अंचलाधिकारी, विद्यापतिनगर से भी 11 व्यक्तियों के नामों की मांग न्यास समिति गठन हेतु की गई तथा उस पर स्मार-पत्र भी समय-समय पर प्रेषित किया गया, परंतु अंचलाधिकारी द्वारा किसी नाम का प्रस्ताव नहीं उपलब्ध कराया गया, जबकि प्रस्तावित न्यास समिति द्वारा पर्षद में वर्ष 2014-15 से 2019-20 की आय-व्यय विवरणी, पर्षद शुल्क तथा कुछ फोटोग्राफ भी दाखिल किया गया और सूचित किया गया कि उक्त श्री शिव मंदिर के बगल में ग्रामीणों के सहयोग तथा चंदे से एक नवीन पार्वती जी का मंदिर निर्माण की योजना है और कार्य भी प्रगति पर है, जिसकी फोटो भी दाखिल की गयी, जिसमें उल्लेख है कि प्रस्तावित नामों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी थाना अभिलेख में दर्ज नहीं है। उक्त प्रतिवेदन अभी तक पर्षद को प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त मंदिर के पूर्व न्यास समिति के अधिकांश सदस्य या तो स्वर्गवासी हो गए या त्याग-पत्र दे चुके हैं। फोटो से प्रतीत होता है कि मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ है तथा श्री मृत्युंजय सिंह, प्रवीण कुमार तथा शिवचन्द्र महतो के हस्ताक्षर से आय-व्यय विवरण भी दाखिल किया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मंदिर के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है,** का प्रयोग करते हुए **“श्री शिव मंदिर, ग्राम- आलमपुर, पो०- गढ़सिसई, था०- विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर”** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री शिव मंदिर न्यास योजना, ग्राम- आलमपुर, पो०- गढ़सिसई, था०-विद्यापतिनगर, जिला- समस्तीपुर”** होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“श्री शिव मंदिर न्यास समिति, ग्राम- आलमपुर, पो०- गढ़सिसई, था०- विद्यापतिनगर, जिला- समस्तीपुर”** होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

5. मठ / मंदिर परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक् प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए ग्रामीणों की आम सभा द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए गठित की जाती है। कार्य संतोषजनक पाए जाने के पश्चात स्थायी किए जाने पर विचार किया जायेगा:-

- | | |
|--|--------------|
| 1. श्री मृत्युंजय कुमार सिंह पिता- श्री कपिलदेव सिंह | — अध्यक्ष |
| 2. श्री धीरज सिंह पिता- श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह | — सचिव |
| 3. श्री प्रवीण कुमार पिता- स्व० राम लगन सिंह | — कोषाध्यक्ष |
| 4. श्री शंकर मांझी पिता- स्व० महेन्द्र मांझी- | — सदस्य |
| 5. श्री नागेन्द्र राय पिता- स्व० गांगो राय | — सदस्य |
| 6. श्री सज्जन सिंह पिता- श्री राम लखन सिंह | — सदस्य |
| 7. पंडित श्री राम पुकार पाठक पिता- स्व० रोहित पाठक | — सदस्य |
| 8. श्री शिवचन्द्र महतो पिता- स्व० रामअवतार महतो | — सदस्य |
| 9. श्री रामा राय पिता- श्री बालेश्वर राय | — सदस्य |
| 10. श्री शंकर पासवान पिता- स्व० जगेश्वर पासवान | — सदस्य |
| 11. श्री अमरेश सिंह पिता- स्व० रामपुकार सिंह | — सदस्य |

सभी का पता- ग्राम- आलमपुर, पो०- गढ़सिसई, था०- विद्यापतिनगर, जिला- समस्तीपुर।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि "श्री शिव मंदिर, ग्राम- आलमपुर, पो०- गढ़सिसई, था०- विद्यापतिनगर, जिला- समस्तीपुर" के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:-न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य, न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलाने/विक्रय/पट्टा/लीज (तीन वर्षों से अधिक) आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

12 नवम्बर 2020

सं० 1878—जय मनोकामना माई मंदिर, गोढ़िया, पोस्ट-हराज, थाना-शिकारगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक अति प्राचीन सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-4546 है।

इस मंदिर में अनेक दानदाताओं द्वारा भूमि दान की गयी है तथा एक विशाल मंदिर का निर्माण स्व० प्रसाद राय द्वारा अपनी भूमि खाता संख्या-408, खेसरा संख्या-4729, रकवा-08 धुर पर किया गया था, जिसमें समाज के सभी लोग बिना रोक-टोक के पूजन-दर्शन को आते हैं तथा चंदा, दान, आदि देते हैं। उक्त मंदिर को पर्षद के आदेश दिनांक 28.08.2020 द्वारा सभी दस्तावेजों पर विचारोपरान्त निबंधन किया जा चुका है। स्व० प्रसाद राय द्वारा निर्मित उक्त मंदिर जिस भूमि पर निर्मित है, उस भूमि का दान भी उनके पुत्र रामेश्वर राय व तुलसी राय द्वारा दिनांक 11.05.2020 को किया जा चुका है। दान-पत्र की फोटोप्रति भी पर्षद के समक्ष दाखिल की गयी, जिसमें साक्षी के रूप में उनके पुत्र सत्येन्द्र राय व शशिरंजन राय हैं। उक्त मंदिर के संचालन व देख-रेख के लिए एक आम सभा कर 11 (ग्यारह) व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिनांक-28.08.2020 को नियमावली के साथ प्रस्तुत किया गया था। पर्षद द्वारा उक्त नामों को थानाध्यक्ष, शिकारपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण को पर्षदीय पत्रांक-1196 दिनांक 10.09.2020 द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु भेजा गया, जिसका चरित्र सत्यापन पर्षद को दिनांक 01.10.2020 को प्राप्त हो गया है, जिसमें प्रस्तावित नामों के विरुद्ध थाना में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है का वर्णन है।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मंदिर के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं०-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए जय मनोकामना माई मंदिर, गोढ़िया, थाना-शिकारगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए आदेश दिनांक 20.10.2020 के आलोक में एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "जय मनोकामना माई मंदिर, गोढ़िया, थाना-शिकारगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण न्यास योजना होगा" तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास

समिति का नाम “जय मनोकामना माई मंदिर, गोढ़िया, थाना—शिकारगंज, जिला—पूर्वी चम्पारण न्यास समिति” होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय—व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप—विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय—व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलान, बिक्रय, रेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही न्यास समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू—सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ—साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हें सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप—पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की अस्थायी न्यास समिति गठित की जाती है :—

1. श्री रामेश्वर राय पिता स्व० प्रसाद राय	—	अध्यक्ष
2. श्री सुरेश प्रसाद पिता स्व० लक्ष्मी प्रसाद	—	उपाध्यक्ष
3. श्री जिमदार सहनी पिता स्व० अंचित सहनी	—	सचिव
4. श्री सत्येन्द्र राय पिता श्री तुलसी राय	—	कोषाध्यक्ष
5. श्री तुलसी राय पिता स्व० प्रसाद राय	—	सदस्य—सह—पुजारी
6. श्री अरविन्द राय पिता श्री जगत नारायण राय	—	सदस्य
7. श्री रामशरण राय पिता स्व० जानकी राय	—	सदस्य
8. श्री जय किशुन सहनी पिता स्व० नथुनी सहनी	—	सदस्य
9. श्री रामसागर राय पिता स्व० लखराज राय	—	सदस्य
10. श्री रामाधार राय पिता स्व० छटु राय	—	सदस्य
11. श्रीमती नागेश्वरी देवी पति श्री सर्वजीत प्रसाद यादव	—	सदस्य

जय मनोकामना माई मंदिर, गोढ़िया, थाना—शिकारगंज, जिला—पूर्वी चम्पारण।

NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम जय मनोकामना माई मंदिर, गोढ़िया, थाना—शिकारगंज, जिला—पूर्वी चम्पारण पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

उपरोक्त न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से किया जाता है, इसको स्थाई किये जाने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

4 नवम्बर 2020

सं० 1760—महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर, पुरानी धर्मशाला चौक, जिला—मुजफ्फरपुर एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—1981 है।

इस न्यास के सुचारु प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु आदेश दिनांक-13.10.2020 द्वारा अधिसूचना ज्ञापांक-148 दिनांक-05.05.2020 द्वारा 10 सदस्यी न्यास समिति का गठन किया गया है, जिसमें श्री मनोज कुमार गुप्ता एवं श्री सतीश कुमार रजक को सदस्य मनोनित किया गया है।

न्यास समिति के सचिव, श्री अनिल कुमार सिन्हा ने अपने आवेदन पत्र दिनांक-25.06.2020 द्वारा पर्वद को सूचित किया है कि समिति में एक सदस्य के रूप में मनोज कुमार गुप्ता का मनोनयन किया गया है। दिनांक-23.05.2020 को जब मंदिर परिसर में सदस्यों से परिचय हेतु आहुत अनौपचारिक बैठक में मनोज कुमार के नाम के दो व्यक्ति वहां उपस्थित हो अपने दावेदारी पेश करने लगे तथा अपने समर्थकों के साथ आपस में गाली गलौच और मारपीट करने लगे, दोनों पक्ष द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी। सचिव द्वारा न्यास समिति के कार्य कालापी में गति प्रदान करने एवं दायित्वों के सफलता पूर्वक निर्वहन हेतु न्यास समिति में श्री श्याम भिमसेरिया, उद्योगपति का नाम प्रस्तावित किया और यह उल्लेख किया वह वर्तमान में लगभग 4-5 सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उक्तनाम के साथ 03 अन्य नाम ओम प्रकाश सिंह, से0 नि0 शिक्षक, प्रकाशचन्द्र गुप्ता और भोला चौधरी के नामों का प्रस्ताव दिया।

श्री सतीश कुमार रजक के संबंध में पर्वद को जानकारी प्राप्त करायी गयी कि सतीश कुमार रजक पिछले कुछ वर्षों से मुजफ्फरपुर में नहीं रहते हैं। इस संबंध में सतीश कुमार रजक के भाई श्री सीतेश कुमार ने भी अपने भाई के स्थान पर अपनी सदस्यता हेतु एक प्रार्थना पत्र पर्वद में दाखिल किया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति तथा पर्वदीय आदेश दिनांक-13.10.2020 के आलोक में पर्वदीय अधिसूचना ज्ञापांक-148 दिनांक-05.05.2020 द्वारा गठित न्यास समिति के सदस्य श्री मनोज कुमार गुप्ता एवं श्री सतीश कुमार रजक को न्यास समिति की सदस्यता से वंचित/मुक्त किया जाता है तथा इनके स्थान पर प्रस्तावित नाम श्री ओम प्रकाश सिंह, अ0प्र0 शिक्षक एवं श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता को सदस्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उक्त न्यास समिति में उपाध्यक्ष का पद रिक्त था, अतः उपाध्यक्ष के रूप में श्री श्याम भिमसेरिया के नाम की मान्यता दी जाती है।

उपरोक्त मनोनित सदस्यों का कार्यकाल न्यास समिति के अवशिष्ट अवधि तक रहेगी। और वे अधिसूचना ज्ञापांक-148, दिनांक-05.05.2020 में वर्णित योजना के अनुरूप कार्य करेंगे।

भवदीय,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

23 नवम्बर 2020

सं0 1907—श्री महावीर मंदिर (श्री बउआ हनुमान मंदिर), पुराना बस स्टैण्ड रेलवे स्टेशन के दक्षिण, अंचल—डुमरा, पो0+थाना+जिला—सीतामढ़ी पर्वद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—4525 है।

इस न्यास की सुचारु प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु मुहल्लेवासियों के तरफ से दिनांक-14.10.2020 को एक आमसभा आयोजित कर 15 व्यक्तियों के नामों को प्रस्ताव न्यास समिति गठन के लिए दिया गया है। समर्पणकर्ता के परिवार के तरफ से श्री पूर्णचन्द्र मिश्र तथा परमेन्द्र कुमार मिश्र उपस्थित हैं तथा मंदिर प्रांगन में व्यवसाय कर रहे व्यक्ति श्री संजय कुमार उपस्थित हैं। पूर्णचन्द्र मिश्र द्वारा भी न्यास समिति का गठन किये जाने हेतु सहमति दी गयी तथा कथन किया कि न्यास समिति में कम से कम एक सदस्य समर्पणकर्ता के परिवार से होनी चाहिए जैसे कि समर्पणनामा में उल्लेखित है। न्यास समिति गठन हेतु कुछ व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव श्री पूर्णचन्द्र मिश्र द्वारा दिया गया तथा प्रस्ताव दिया गया कि न्यास समिति में एक सरकारी अधिकारी को भी रखा जाय।

उपरोक्त परिस्थिति में उभय पक्षों की सहमति पर विचारोपरान्त उक्त मंदिर के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 08 सदस्यीय एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री महावीर मंदिर (श्री बउआ हनुमान मंदिर), पुराना बस स्टैण्ड रेलवे स्टेशन के दक्षिण, अंचल—डुमरा, पो0+थाना+जिला—सीतामढ़ी की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए आदेश दिनांक-17.10.2020 के आलोक में एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "श्री महावीर मंदिर (श्री बउआ हनुमान मंदिर), पुराना बस स्टैण्ड रेलवे स्टेशन के दक्षिण, अंचल—डुमरा, पो0+थाना+जिला—सीतामढ़ी न्यास योजना होगा" तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "श्री महावीर मंदिर (श्री बउआ हनुमान मंदिर), पुराना बस स्टैण्ड रेलवे स्टेशन के दक्षिण, अंचल—डुमरा, पो0+थाना+जिला—सीतामढ़ी न्यास समिति" होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
 5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
 6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलान, बिक्रय, रेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही न्यास समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।
 7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
 8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
 9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
 10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
 11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हें सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।
 12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की अस्थायी न्यास समिति गठित की जाती है :-

1. अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी	—	पदेन अध्यक्ष
2. श्री पूर्णचन्द्र मिश्र पिता स्व० बिन्देश्वरी प्रसाद मिश्र पता—सुरसंड रोड, सीतामढ़ी	—	उपाध्यक्ष
3. श्री नग नारायण चौधरी पिता स्व० मुखलाल चौधरी पता—चकमहिला, जिला—सीतामढ़ी	—	सचिव
4. श्री परमेन्द्र कुमार पिता श्री पुर्णचन्द्र मिश्रा पता—सुरसंड रोड, सीतामढ़ी	—	कोषाध्यक्ष
5. श्री महेन्द्र साह पिता स्व० दशरथ साह पता—अन्नपुर्णा होटल, सीतामढ़ी	—	सदस्य
6. श्रीमती आशा चौधरी पति श्री रमेश कुमार चौधरी पता—कोर्ट बाजार, सीतामढ़ी	—	सदस्य
7. श्री पारस मिश्रा	—	सदस्य
8. श्री श्यामनारायण जायसवाल पिता श्री रामाशीष चौधरी पता—सबनम मेडिकल, सीतामढ़ी	—	सदस्य

नवगठित न्यास समिति द्वारा मंदिर से होने वाली आय-व्यय का लेखा-जोखा रजिस्टर समुचित ढंग से संधारित करेगी। मंदिर परिसर में रखे दान-पेटी को कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति में खोला जायेगा तथा पैसे की गिनती के उपरान्त यथाशीघ्र मंदिर के बैंक खाता में जमा किया जायेगा। मंदिर से संबंधित होने वाली कोई भी खर्च बैंक से निकासी कर किया जायेगा। मंदिर में पुजारी के रूप में श्री जितेन्द्र झा कार्य करेंगे।

NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम श्री महावीर मंदिर (श्री बउआ हनुमान मंदिर), पुराना बस स्टैण्ड रेलवे स्टेशन के दक्षिण, अंचल-डुमरा, पो०+थाना+जिला—सीतामढ़ी पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

उपरोक्त न्यास समिति का गठन अस्थाई रूप से किया जाता है, चरित्र सत्यापन एवं पर्षद के गठन हो जाने के पश्चात् इसको स्थाई किये जाने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

31 अक्टूबर 2020

सं० 1747—बोधगया मठ, जिला—गया पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—934/1960 है।

बोध गया मठ, लगभग 500 वर्ष से अधिक प्राचीन है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। यह सनातन धर्मालम्बियों के लिए आस्था का केन्द्र रहा है। इसमें पूर्व में लगभग 15000 एकड़ से अधिक भूमि थी। जिसमें से वर्ष 1952-53 के पूर्व लगभग 12,000 (बारह हजार) एकड़ भूमि संत विनोवा भावे भू-दान योजना हेतु प्रदान की गयी।

वर्ष 1966 में पर्वद के निरीक्षक द्वारा बोधगया मठ का निरीक्षण किया गया, जिसमें उल्लेख है कि सन् 1893 ई0 में "ए ग्रेट हिस्ट्री ऑफ बोधगया मठ" नामक बुकलेट जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी, जी0 ए0 ग्रिसन के आदेश पर राय राम अनुराग राम बहादुर डिप्टी मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित है, जो बंगाल सेक्रेटेरियट, कलकत्ता से मुद्रित हुआ। जिसमें वर्ष 1590 से समय-समय पर जो महंत हो रहे, उनके नामों का उल्लेख है। मठ का मकान और बगीचा जो लगभग 52 बीघा में स्थित है, जिसका निर्माण लगभग 300 वर्ष पूर्व किया गया था जो तीन मंजीला है और यह भी जानकारी में आयी कि महंत अपने सुविधा के लिए दरबारी और कोठारी की नियुक्ति करते थे और 12वें महंत कृष्ण दयाल गिरि तक महंत की नियुक्ति मठ के साधुओं द्वारा महंत के शिष्यों में से योग्य शिष्य की जाती थी।

सर्वप्रथम सन् 1932 में दिनांक 13.09.1932 को कृष्ण दयाल गिरि ने निबंधित दस्तावेज द्वारा मठ की सुचारु प्रबंधन हेतु 07 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया। उक्त अभिलेख के आधार पर, सभापति गद्दीनशीन महंत होते थे तथा 03 साधुओं और 03 अन्य सदस्य को समिति में रखा जाता था। बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1951 में गठित होने पर अधिनियम की धारा 59, 60 के अन्तर्गत मठ के तत्कालीन महंत हरिहर गिरि को नोटिस जारी की गयी, जिसपर महंत हरिहर गिरि द्वारा टाईटिल सुट संख्या-23/1951 दाखिल किया, जो माननीय उच्च न्यायालय में ओरिजिनल सुट के रूप में ट्रान्सफर होकर टाईटिल सुट सं0-129/53 के रूप में रजिस्टर्ड हुआ। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.03.1955 द्वारा महंत के दावों को खारिज करते हुए एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था घोषित किया और उल्लेख किया कि यह मठ अधिनियम के अन्तर्गत आता है। उक्त आदेश को तत्कालीन महंत हरिहर गिरि द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील वाद एम0सी0ए0 संख्या-66/1955 दाखिल कर प्रश्नगत किया। जो समझौते के आधार पर दिनांक 24.04.1957 को निस्तारित हुआ, जिसमें लगभग 2333 एकड़ भूमि को सार्वजनिक न्यास के रूप में घोषित की गयी तथा 256 एकड़ भूमि महंत की निजी सम्पत्ति मानी गयी। परन्तु इसी बीच मठ की भू-सम्पत्ति को लगभग 15-20 हजार एकड़ भूमि को मठ में जो साधु, नौकर, गृहस्थ शिष्य के नाम बन्दोबस्ती दिखाकर जमीन को बयनामी कर दिया। तत्पश्चात् भू-हदबंदी अधिनियम की अन्तर्गत अधिकांश भूमि अर्जित की गयी और मात्र लगभग 100 एकड़ भूमि मठ में शेष रह गयी।

महंत हरिहर गिरि द्वारा एक अनिबंधित अभिलेख दिनांक 23.02.1958 द्वारा सतानंद गिरि को मठ का महंत बनाया तथा मठ के संचालन हेतु एक समिति का भी गठन किया। हरिहर गिरि के पूर्व महंत कृष्ण दयाल गिरि द्वारा पर्वद में निबंधन के पूर्व मठ के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया था, जो मठ के प्रशासनीक और व्यवस्थापनात्मक कार्य देखते थे।

महंत सतानंद गिरि के विरुद्ध बहुत से आरोप मठ की सम्पत्ति के निस्तारण के संबंध में प्राप्त हुये। इसी बीच सतानंद गिरि ने दिनांक-16.08.1977 को अपना त्याग-पत्र दिया तथा दिनांक 27.08.1977 को अपने शिष्य धनसुख गिरि को महंत नियुक्त किया, जिसकी सूचना पर्वद को दिनांक 11.09.1977 को दी गयी। धनसुख गिरि द्वारा दिनांक 07.07.1978 को महंत के साथ मठ के संचालन हेतु न्यास समिति बनाये जाने के संबंध में निबंधित अभिलेख तैयार किया, जिसमें मठ के प्रशासन/संचालन संबंधी सभी अधिकार निहित था। उक्त एग्रीमेन्ट को पर्वद द्वारा भी दिनांक 19.04.1979 को स्वीकृति प्रदान की गयी। वर्ष 1978 से समय-समय पर गठित समिति के तहत ही मठ का संचालन होता रहा।

समय-समय पर न्यास प्रबंधन के विरुद्ध भी आरोप प्राप्त होते रहे तथा पर्वद के आदेश दिनांक 31.10.2007 द्वारा उक्त एग्रीमेन्ट विलेख दिनांक 07.07.1978 को निरस्त कर सुदर्शन गिरि को महंत बनाते हुए सारे अधिकार दिए। महंत सुदर्शन गिरि का स्वर्गवास दिनांक 29.10.2013 को हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात् श्री रमेश गिरि द्वारा न्यासधारी के रिक्त पद पर मान्यता हेतु अनुरोध किया तथा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ, महंत सुदर्शन गिरि का मृत्यु प्रमाण-पत्र, तथा एक सादे कागज पर कुछ साधु-संतों के हस्ताक्षर से दिनांक 09.11.2013 को गोस्वामी रमेश गिरि चेला- स्व0 महंत सतानंद गिरि को सुदर्शन गिरि के स्थान पर उत्तराधिकार नियुक्ति पत्र, इसी प्रकार दिनांक 10.11.2013 को चादर-पगड़ी समर्पित पत्र कि प्रति दाखिल किया।

तदनुसार पर्वद के आदेश दिनांक 20.02.2014 द्वारा रमेश गिरि को बोध गया मठ के सभी दस्तावेजों में स्थानापन्न करने का आदेश तथा मठ की सम्पत्ति के संबंध में चल रहे वाद में वादी या प्रतिवादी बनने के लिए अधिकृत किया गया। आगे उल्लेख किया गया कि यदि एक वर्ष के अन्दर कोई दुसरा दावेदार उपस्थित नहीं होता है तो स्थायी रूप से इन्हें महंत के रूप में स्थानापन्न कर दिया जायेगा, शर्तें उल्लेखित थी।

रमेश गिरि के अस्थायी महंत बनने के पश्चात्, मठ की सम्पत्ति को अवैध व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने, निर्माण करने आदि के संबंध में शिकायत महंत द्वारा स्वयं पर्वद को दी गयी। इसी बीच मठ में कार्यरत कर्मचारियों का महंत के साथ विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः एकदूसरे पर गम्भीर आरोप-प्रत्यारोप मठ की भूमि का स्थानान्तरण, आय का दुरुपयोग आदि कुछ बाहरी व्यक्तियों द्वारा महंत के संरक्षण में मठ के कार्यभार देखने वालों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने संबंधी आरोप आने लगे, जिसमें पक्षों की सुनवाई के पश्चात् पर्वद के आदेश दिनांक 13.10.2020 द्वारा निर्णय लिया गया कि बोध गया मठ के महंत रमेश गिरि काफी वृद्ध हो गये हैं तथा इनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मठ की सम्पत्ति से होने वाली आय की पूर्ण जानकारी महंत को नहीं देते हैं, बल्कि बिना किसी पर्वद के पूर्वानुमति के लाखों रुपये नकद राशि एडवॉन्स के रूप में प्राप्त कर अनगिनत लोगों को दुकान निर्माण हेतु मठ की भूमि को व्यक्तिगत भूमि दिखाते हुए अभिलेख का निष्पादन किया गया है, जिसकी पूर्ण जानकारी न महंत को दी गयी, न पर्वद में दाखिल आय-व्यय विवरणी में दर्शित की गयी, न पर्वद की जानकारी में आज तक लाया गया, न मठ के बैंक खाते में रखा गया तथा सोतवा मठ एवं

मुरलीपुर मठ, जिला-रोहतास व अन्य मठ जो पर्षद में स्वतंत्र रूप से निबंधित है और जिनका अपना अलग-अलग महंत है। बाहूबल व भय का प्रयोग कर उक्त मठों की सम्पत्ति को भी बोधगया मठ के महंत द्वारा निदेशित व्यक्ति बन्दोबस्ती कर राशि वसूल करने लगे और इस संबंध में भी पर्षद से कोई अनुमति नहीं प्राप्त की गयी तथा पर्षद के आदेशों की अवहेलना खुले रूप से की जाने लगी। पर्षद द्वारा पर्षद में उपस्थित महंत रमेश गिरि से उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रश्न पुछने पर उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तथा कथन किया कि कागजातों पर हस्ताक्षर उनसे कराये गये हैं, लेकिन अन्य कोई जानकारी उन्हें नहीं है। अतः उनके सहयोग के लिए पर्षद द्वारा न्यास समिति गठन किए जाने के बिन्दु पर उन्होंने अपनी सहमति दी कि पर्षद जो योजना बनायेगी, वे उसका पालन करेंगे।

उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में बोध गया मठ के संचालन हेतु निम्न योजना बनायी जाती है :-

योजना

1. बोधगया मठ तथा उससे संबंधित सम्पत्ति की बेहतर व्यवस्था के लिए अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **बोधगया मठ न्यास योजना हो**। जिसे मूर्त रूप देने के लिए पर्षद द्वारा एक न्यास समिति का गठन किया जा रहा है, जिसका नाम **बोधगया मठ न्यास समिति** होगा। जो मठ की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण का अधिकार होगा तथा इसमें मन्दिर की समग्र परिसर, दुकान, खेती की भूमि, संचालित संस्थान आदि का प्रबंधन एवं संचालन की शक्ति निहित होगी।

2. महंत रमेश गिरि इस मठ के महंत बने रहेंगे तथा न्यास समिति के संरक्षक भी होंगे। बैठक में भाग लेंगे। न्यास समिति द्वारा इनके प्रति सम्मान दिया जायेगा, चूंकि ये बैरागी सन्यासी हैं। इनके निजी व्यय के लिए समिति मठ की आय का आकलन कर उसका एक अंश देंगी, जिससे उनके निजी व्यय, चिकित्सा आदि में कोई असुविधा न हो तथा मठ के धार्मिक आयोजन, साधु-सेवा आदि में महंत का सुझाव देने का अधिकार होगा, जिसे न्यास समिति विचार करेंगी। महंत कि आध्यात्मिक धार्मिक विचारों का प्रमुखता से पालन होगा।

3. न्यास समिति में एक अध्यक्ष पद होगा जो न्यास समिति के कार्यों को सर्वेक्षण करेंगी परन्तु निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

4. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा बैठक बुलायी जायेगी, परन्तु बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा ही की जायेगी।

5. न्यास समिति में एक उपाध्यक्ष का पद होगा, जो समिति की बैठक (तीन माह तक) नहीं बुलाये जाती है या अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सूचित करते हुए सचिव से सम्पर्क कर बैठक सुनिश्चित करेंगे। जिसकी सूचना 10 दिन पूर्व कार्य बिन्दु सहित सभी सदस्यों को सूचित की जायेगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

6. समिति में एक सचिव का पद होगा, सचिव न्यास समिति की सभी निर्णय को मूर्त रूप देने के उत्तरदायी होंगे तथा पर्षद से पत्राचार अध्यक्ष/सचिव करने के लिए अधिकृत होंगे तथा अध्यक्ष या सचिव द्वारा लिए गए किसी अकास्मिक निर्णय का अनुमोदन समिति की अगली बैठक में अवश्य लिया जायेगा।

7. समिति में एक कोषाध्यक्ष का पद होगा, जिसमें समिति के सम्यक लेखा का दायित्व होगा। समिति द्वारा न्यास बोध गया मठ के नाम से से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता जो चालू है, उसी में किरायेदारी एवं खेती तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि हर दुसरे दिन बैंक में अवश्य जमा कर दी जायेगी और मठ के बैंक खाते का संचालन कोषाध्यक्ष/अध्यक्ष या सचिव (दो व्यक्ति) के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

8. समिति हर वित्तीय वर्ष समाप्ति के चार माह के अन्दर सम्पूर्ण आय का अंकेक्षण कराकर अंकेक्षण प्रतिवेदन पर्षद को शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।

9. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उपविधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए, न्यास की आय-व्यय विवरणी, बजट, वार्षिक अंकेक्षण, बैठक का कार्यवृत्त आदि का सामयिक परिक्षण पर्षद को अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करायेगी।

10. वर्तमान महंत रमेश गिरि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के अधिकार आज की तिथि से समाप्त की जाती है और मठ और मठ की सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा, परन्तु न्यास समिति को महंत द्वारा अधिकृत व्यक्ति से मठ की सभी चल-अचल सम्पत्ति संबंधी दस्तावेज, बैंक खाता व अन्य प्रकार से प्राप्त की गयी राशि का हिसाब-किताब प्राप्त करने व रखने का अधिकार होगा।

11. न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य होगा कि मठ में परम्परानुसार धार्मिक आयोजन, साधु-सेवा, मूर्तियों की पूजा-अर्चना, राग-भोग सम्यक रूप से हो, जिसमें मठ की राशि का प्रयोग होगा तथा मठ से प्राप्त होने वाली चढ़ावे या दान की प्राप्ति रसिद जो दो प्रतियों में होगी, उसमें एक प्रति दानदाता को दी जायेगी तथा उससे संबंधित एक रजिस्टर होगा, जिसमें प्रतिदिन इस प्रकार से प्राप्त राशि का उल्लेख किया जायेगा और जो न्यास समिति की बैठक में समय-समय पर रखी जायेगी तथा राशि को मठ के नाम से चलित खाते में जमा किया जायेगा।

12. मठ की भूमि पर लगभग 200 से अधिक दुकानें हैं, समिति दुकानदारों से किराया प्राप्त कर उसकी रसिद देंगे। दुकानदारों को निर्देश दिया जाए कि मासिक किराया मठ के नाम से चलित बैंक खाते में जमा करे और उसकी रसिद की फोटोप्रति न्यास समिति के कोषाध्यक्ष को उपलब्ध करायेगा तथा कोषाध्यक्ष द्वारा एक रजिस्टर संधारण किया जायेगा, जिसमें दुकानदारों का नाम, उनके आधिपत्य में दुकान का क्षेत्रफल, खाता संख्या, प्लॉट संख्या तथा मासिक किराये की राशि का उल्लेख होगा।

13. न्यास समिति का कोई भी सदस्य या उनके रिस्तेदार या सहयोगी के माध्यम से न्यास सम्पत्ति से प्राप्त हाए एवं सम्पत्ति का दुरुपयोग करती पायी जायेगी तो उन्हें न्यास समिति की सदस्यता से सुनवाई का अवसर देते हुए वंचित किया जायेगा।

14. मठ परिसर में स्वच्छता, जलापूर्ति, बिजली तथा आने वाले साधु-संतो का भोजन, रहने आदि की व्यवस्था की पूर्ति के लिए न्यास समिति विशेष रूप से तत्पर रहेगी।

15. मठ में कार्यरत वर्तमान पुजारी योग्य होने की स्थिति में पूजा-अर्चना आदि का कार्य करेंगे तथा भविष्य में पुजारी, अर्चकों, कर्मियों की नियुक्ति के लिए न्यास समिति बहुमत से चयन करेगी तथा उनके वेतन आदि का भुगतान न्यास कोष से किया जायेगा।

16. न्यास समिति की बैठक हर तीन माह में होगी, जिसमें समिति के समक्ष रखे गये प्रस्ताव तथा उनपर लिए गए निर्णय जो बहुमत पर आधारित होगा। इस संबंध में बैठक की कार्यवाही संबंधी रजिस्टर का संधारण होगा, जिसकी प्रति समय-समय पर पर्षद को भेजी जाएगी।

17. ऐसे विषय जो इस योजना में उल्लेख नहीं किया गया है और मठ के हित में आवश्यक समझा जाए तो न्यास समिति प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के पश्चात् कार्य करेगी।

18. न्यास समिति में कम से कम 07 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होंगे। कम-से-कम एक सदस्य मठ की भूमि पर व्यवसाय कर हरे व्यक्तियों में से होगा। व्यवसायी आपस में चुनाव कर 02 व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव पर्षद को भेजेगी। ऐसे व्यक्ति समिति में अस्थायी सदस्य के रूप से 01 वर्ष के लिए नामित होंगे, कार्य संतोषजनक होने पर पुनः मात्र 01 वर्ष के लिए नामित किये जा सकेंगे। फिर इसी प्रकार व्यवसायी द्वारा प्रस्ताव भेजा जा सकेगा।

19. न्यास समिति में किसी प्रकार की अकास्मिक रिक्ती की पूर्ति के लिए न्यास समिति अपनी बैठक कर बहुमत से प्रस्ताव पास कर रिक्त पदों पर सूची प्रस्तावित करेंगी, जिसपर पर्षद विचार कर निर्णय लेगी।

20. इस योजना में परिवर्तन एवं संशोधन एवं रिक्तियों को पूर्ण करने का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

21. महंत एवं न्यास समिति के किसी भी सदस्यों को बिना पर्षद की अनुमति के मठ की किसी भी भूमि को किसी भी व्यक्ति या सरकार को बिना लिखित पूर्वानुमति के रेहन, बिक्री, बंधक, किराये आदि पर नहीं देगी।

इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्न व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|---|--------------------|
| 1. महंत रमेश गिरि | — महंत —सह—संरक्षक |
| 2. जिला पदाधिकारी, गया | — अध्यक्ष |
| 3. श्री त्रिवेणी गिरि, पूर्व कोठारी, बोध गया मठ, | — उपाध्यक्ष |
| 4. महामंडलेश्वर सरोजिनी गिरि जी, | — सचिव |
| 5. श्री संजय पाल, पुत्र—श्री सत्यवीर सिंह | — कोषाध्यक्ष |
| 6. स्वामी आदित्यानंद गिरि चेला—स्व० महं अवधेशानन्द गिरि | — सदस्य |
| 7. थानाध्यक्ष, बोधगया | — सदस्य |

अध्यक्ष एवं सचिव को निर्देश दिया जाता है कि मठ की जो भी भूमि अवैध रूप से कब्जा में है, उसके संबंध में कार्यवाई कर भूमि का अतिक्रमणमुक्त कराये तथा खेती योग्य भूमि की बन्दोबस्ती प्रतिवर्ष के हिसाब से करें और उसके आय-व्यय का लेखा-जोखा सत्य व सही विवरण पर्षद के समक्ष उपस्थापित करें।

न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से या बोर्ड के गठन होने तक किया जाता है, पर्षद के गठन के पश्चात् इसके नियमित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि बोध गया मठ जिला-गया के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:—न्यास समिति के पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलान/बिक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 4-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>